रांची में, बुधवार, दिनांक 17 जून, 2020 को अपराह्न 3:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित रहे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

1. झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 के नियम 2, 26 एवं 39 के संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *1.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

2. राज्य में COVID-19 संक्रमण एवं संभावित महामारी को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र परिवारों को माह अप्रैल एवं मई, 2020 के लिए खाद्यान्न वितरण करने हेतु चावल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को घटनोत्तर आधार पर स्पष्ट करने के संबंध में। *2.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

3. पथ निर्माण विभाग द्वारा RIDF-XXV के तहत् 20–पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रु0 102553.50 लाख के ऋण आहरण की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *3.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

4. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF-XXV के तहत् 07–ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रु0 23692.93 लाख के ऋण आहरण की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *4.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

5. झारखण्ड भवन, नई दिल्ली में "स्थानिक आयुक्त के सचिव" पद को "उप स्थानिक आयुक्त–सह–सम्पर्क पदाधिकारी" के रूप में पुनर्नामित करने के संबंध में। *5.* **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

6. झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कोर्ट फी के ई–स्टाम्पिंग हेतु मनोनयन के आधार पर "स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" को वित्त नियमावली के नियम 245 के अधीन नियम 235 को शिथिल करते हुए प्राधिकृत किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *6.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

7. महिलाओं को अचल सम्पत्ति के क्रय पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क में प्रदत्त छुट को वापस लिये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *7.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

8. मुद्रांक शुल्क का भुगतान स्टांप के अतिरिक्त अन्य माध्यम से करने हेतु झारखण्ड स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2020 के गठन के संबंध में। *8.* **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

9. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची II Part E के अन्तर्गत Aviation Turbine Fuel (ATF) पर देय कर दर (वैट) में संशोधन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। *9.* **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

10. झारखण्ड वृत्तियों, व्यापरों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 (Jharkhand Tax on Professions, Trades, Callings and Employment Act, 2011) के साथ संलग्न अनुसूची में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। *10.* **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

11. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची II Part E में संशोधन करते हुए डीजल एवं पेट्रोल के Basic Price (Dealer's Price + Excise Duty) पर देय कर (वैट) में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। *11.* **स्वीकृत।**

विधि विभाग

12. ई–कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत् 02 वरिष्ठ प्रोग्रामार (Senior Programmer) के पदों का दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।

12. **स्वीकृत। साथ ही इस तरह के अवधि विस्तार के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में, योजना – सह– वित्त विभाग की सहमति के उपरांत मंत्रिपरिषद् द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद् के स्थान पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया।**

विधि विभाग

13. ई–कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत् राज्य के 02 नवसृजित जिला न्यायालयों (खूँटी एवं रामगढ़) हेतु सिस्टम ऑफिसर के क्रमशः 01 एवं 01 कुल 02 (दो) पदों के संविदा आधारित पदों के अस्थायी तौर पर 01 (एक) वर्ष यथा दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक के लिए सृजन के संबंध में।

13. **स्वीकृत।**

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

14. Jharkhand State Wide Area Network (JharNet) परियोजना का 05 वर्ष का कार्यकाल एवं विस्तारित पाँच वर्ष एवं तीन माह के अतिरिक्त संचालन के उपरान्त वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के आलोक में Nomination के आधार पर वर्तमान के एकरारनामा, दर एवं शर्त्तों के अधीन वर्तमान सेवा प्रदाता M/s. UTL को दिनांक 01.11.2019 से 30.04.2020 (छः महीना) अथवा झारनेट 2.0 के लिए निविदा द्वारा चयनित नये ऑपरेटर के पूर्णतः क्रियाशील होने तक, जो भी पहले हो, के लिए एवं TPA (Third Party Auditing Agency M/s. WIPRO) को दिनांक 01.11.2019 से 31.07.2020 (नौ महीना) तक रु0 1013.46 लाख (दस करोड़ तेरह लाख छियालीस हजार) मात्र के व्यय पर सेवा विस्तार करने की स्वीकृति के संबंध में। *14.* **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

15. झारखण्ड राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला संवर्ग (भर्त्ती एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2020 का गठन। *15.* **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

16. डॉ० जावेद रेहान, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुडू, लोहरदगा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। *16.* **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

17. राज्य के तीन नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल यथा–दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में COVID-19 की जाँच हेतु विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु वित्त नियमावली के नियम–235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम–245 के तहत् प्रेझा फाउण्डेशन (PanllT Alunmi Reach For Jharkhand Foundation) को कार्यहित में मनोनयन तथा तत्संबंधी फाउण्डेशन एवं झारखण्ड स्टेट मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, रांची के साथ किये जाने वाले MoU हेतु MoU प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

17. **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

18. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग तथा झारखण्ड भवन, नई दिल्ली हेतु प्रोटोकॉल संबंधी पदों का सृजन करने के संबंध में।

18. **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

19. नोबेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित महामारी के फलस्वरूप राज्य से बाहर फॅसें (Stranded) प्रवासी श्रमिकों, यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित आवागमन एवं आरोग्यकर गृहावासन करने के निमित झारखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि (JCF) से कुल रु0 20.00 (बीस) करोड़ की अग्रिम राशि की निकासी की घटनोत्तर (Post Facto) स्वीकृति के संबंध में।

19. **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

ग्रामीण विकास विभाग

20. मनरेगा योजनाओं को बेहतर रूप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से Bharat Rural Livelihood Foundation (BRLF) एवं ग्रामीण विकास विभाग के मध्य MoU किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। *20.* **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

21. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रांची को स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय एवं अन्य मदों के व्यय हेतु प्रदेय, Agency charge/ Centage शब्द समूह के स्थान पर शब्द समूह संचालन अनुदान/ Operational Grant में प्रतिस्थापित करने के संबंध में। *21.* **स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

22. झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली–2020 की स्वीकृति के संबंध में। *22.* स्वीकृत। साथ ही संलेख के साथ संलग्न झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली–2020 के नियम –34 के परिशिष्ट 1(ङ), परिशिष्ट–II झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार में सांविधिक पद के क्रमांक–3. के कॉलम में अंकित तथ्यों को विलोपित करते हुए, उसके स्थान पर क्रमांक–3. के कॉलम में निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है :–

क्र०	पदनाम	पदों की संख्या	स्वरूप	परिपलब्धियाँ	अर्हता
3.	सदस्य	06	सांविधिक	गैर सरकारी सदस्यों का मानदेय अलग से निर्धारित किया जायेगा।	i) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सहाय्य/ पुनर्वास/ विस्थापन/ जलवायु परिवर्त्तन अनुकूलन/ आपदा प्रबंधन जैसे संबद्ध क्षेत्रों में न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का प्रशासनिक कार्यानुभव रहा हो, वैसे 02 (दो) व्यक्तियों का मनोनयन किया जायेगा। ii) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव स्तर के 04 (चार) पदाधिकारियों को मनोनित किया जायेगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग

23. राज्यांतर्गत स्थानीय नगर निकायों में आम निर्वाचन स्थगित होने के कारण प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में। *23.* **स्वीकृत। साथ ही आदेश निर्गत करने के पूर्व अधिसूचना प्रारूप की विधिक्षा विधि विभाग द्वारा करा ली जाय।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

24. Jharkhand Mineral Bearing Land (Covid-19 Pandemic) Cess Ordinance, 2020 का अध्यादेश (Ordinance) लाने के संबंध में। *24.* **स्वीकृत। साथ ही आदेश निर्गत करने के पूर्व अध्यादेश की विधिक्षा विधि विभाग द्वारा करा ली जाय।**

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

25. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य में वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने हेतु वर्ष 2004 में अधिसूचित झारखण्ड काष्ठ एवं वन उत्पाद (अभिवहन का विनियमन), नियमावली, 2004 को निरस्त करते हुए वनोपज के अभिवहन के विनियमित करने के लिए झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 की स्वीकृति के संबंध में। *25.* निम्नलिखित शर्त्त के साथ स्वीकृत :–

i) संलेख की कंडिका–8 की उप कंडिका–(iii) के क्र०–1 के कॉलम 2 में वनोपज का नाम के साथ कॉलम–3 में अंकित निर्धारित देय शुल्क में अंकित "70 रुपये प्रति मिट्रिक टन" के स्थान पर **"57 रुपये प्रति मिट्रिक टन"** अंकित किया जाय।

ii) साथ ही आदेश निर्गत करने के पूर्व अधिसूचना प्रारूप की विधिक्षा विधि विभाग द्वारा करा ली जाय।

:: **अन्यान्य** ::

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(समन्वय)

26. राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा आज दिनांक 17 जून, 2020 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में दिनांक 12 जून, 2003 से 09 दिसम्बर, 2004 तक झारखण्ड राज्य के राज्यपाल रहे, श्री वेद प्रकाश मारवाह के दिनांक 05 जून, 2020 को हुए निधन पर गहरी संवेदना एवं दुःख प्रकट किया गया तथा देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया गया।

स्वर्गीय वेद प्रकाश मारवाह के द्वारा राज्य के विकास हेतु किए गए उल्लेखनीय कार्यों का स्मरण करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति तथा उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी तथा सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य की ओर से इस दुःखद वेदना को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गयी।

ह0/–
(सुखदेव सिंह)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड